न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

पत्रावली संख्या : 04/19 (अपील)

प्रकरण दर्ज दिनांक : 18.06.2019 निर्णय दिनांक : 08.01.2020

अनवान्

1. श्रीमती केशीबाई पुत्री स्व. कालु पत्नी तुलसीराम डांगी निवासी रेलडा, मधुफला, डबोक तह. मावली।

.............अपीलान्ट्

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता कन्हैयालाल जैन निवासी शिवनगर, गायरियावास उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का भीमल तह. मावली।

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता अपीलान्ट्।
2. श्री ओमप्रकाश डागलिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. बांसलिया, बाबत ना. सं. 238 दि. 20.04.2006

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 08.01.2020

1. अपीलाण्ट् द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत बांसलिया बाबत् नामान्तरण संख्या 238 दिनांक 20.04.2006 के विरूद्ध मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि ग्राम वांगरोदी पटवार हल्का भीमल में स्थित आराजी नम्बर 317 कुलकिता 1 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा हैं। उक्त आराजीयात पूर्व में चौखा पिता गोदा डांगी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में सम्पूर्ण हक हिस्से से दर्ज थी चौखा की मृत्यु हो गई थी तथा चौखा की मृत्यु के उपरान्त पटवारी, पटवार हल्का भीमल द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 12.06.1962 को खोलते हुए अपीलार्थीयां के पिता कालु के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया जिसके नामान्तरण संख्या 36 है दिनांक 12.09.1962 को नामान्तरण पत्रावली पर भू–अभिलेख क्षेत्र डबोक द्वारा नामान्तरण की जांच की गई व पटवारी द्वारा दर्ज किया गया नामान्तरण असन्तोष जनक पाया गया जिसकी पालनार्थ हेतु उक्त

akshay

Scanned with CamScanner

नामान्तरण दिनांक 05.10.1963 को खारिज किया गया जिसका कारण नामान्तरण पत्रावली पर नामान्तरण अधुरा अंकित किया हुआ हैं।

2. यह कि विरासत से चौखा की सम्पति में जो हिस्सा कालु के नाम पर दर्ज हुआ वो नामान्तरण सं. 36 से हुआ था परन्तु नामान्तरण सं. 36 दिनांक 05.10.1963 को खारिज हो चुका था जिस कारण कालु को उक्त आराजीयात में वर्ष 2006 तक भी कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ था केवल मात्र गलत नामान्तरण के आधार पर जो कालु का नाम नकल जमाबन्दी में दर्ज कर दिया था वो ही नामान्तरण दिनांक 05.10.1963 को खारिज़ हो चुका था जिसकी पालना पटवारी द्वारा नहीं की गई व कालु का नाम नकल जमाबन्दी में बदस्तुर चलता रहा। नामान्तरण खारिज हो जाने से कालु को उक्त आराजीयात में कोई स्वामित्व नहीं मिलता है परन्तु कालु ने उक्त आराजीयात को दिनांक 05.04.2006 को विपक्षी सं. 1 को विक्रय कर दी है एवं विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी सं. 1 अपना नाम नकल जमाबन्दी में दर्ज करवाया जिसके नामान्तरण सं. 238 हैं।

3. यह कि स्व. चौखा डांगी से जो हक एवं हिस्सा कालु को पूर्व में प्राप्त हुआ था वो जरिये नामान्तरण सं. 36 से प्राप्त हुआ था व नामान्तरण सं. 36 दिनांक 5.10.1963 को खारिज हो गया था इसलिए वर्तमान में भी कानुनन उक्त आराजीयात चौखा डांगी में ही निहित है तथा कालु को उक्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं हैं केवल मात्र गलत इन्द्राज होने की वजह से कालु ने सम्पूर्ण आराजीयात विपक्षीगणों को विक्रय कर दी है व नामान्तरण दर्ज करवा दिये है इस कारण उक्त नामान्तरण सं. 238 खारिज होने योग्य हैं।

4. यह कि नामान्तरण सं. 36 खारिज हो जाने से कालु को उक्त आराजीयात कोई हक एवं हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था परन्तु नुमाईशी इन्द्राज के आधार पर विपक्षी सं. 1 ने विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिये व जरिये नामान्तरण सं. 238 से अपने नाम पर दर्ज करवा लिया कानुनन कालु के नाम पर जमीन नहीं होने के बावजूद भी नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 238 से विपक्षी सं. 1 का नाम दर्ज हुआ जिससे नामान्तरण सं. 238 स्वतः खारिज हैं।

5. यह कि नामान्तरण संख्या 238 व 36 की नकल तहसीलदार मावली एवं सेटलमेन्ट विभाग उदयपुर से दिनांक 14.06.2019 को प्राप्त की नकले प्राप्त होने से मुझ अपीलार्थीया को जानकारी हुई तथा जानकारी के तुरन्त पश्चात आज दिनांक को नामान्तरकरण आदेश निरस्त कराने के लिए यह अपील प्रार्थना पत्र अविलम्ब पेश किया जा रहा हैं।

Akshay

Scanned with CamScanner

6. यह कि ग्राम पंचायत बांसलिया द्वारा नामान्तरकरण, नामान्तरण संख्या 238 दिनांक 20.04.2006 खोला गया उक्त नामान्तरण ग्राम पंचायत बांसलिया द्वारा पारित होने से उक्त नामान्तरण की प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हैं।

7. यह कि अपील निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश होकर अन्दर अवधि मयाद प्रस्तुत हैं। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मुझ अपीलार्थीयां की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम जमीन के सम्बन्ध में जारी ग्राम वांगरोदी नामान्तरण संख्या 238 दिनांक 20.04.2006 आदेश निरस्त कर पटवार हल्का भीमल को समुचित आदेश प्रदान कराया जावे तथा नामान्तरण संख्या 36 जो की निरस्त हो चुका है जिसकी पालना करवाई जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा नजीर L.R.Act 1956 Sec. 135 Page 192 मय दस्तावेज पेश कर नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेज पेश कर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों पर सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई। दिनांक 05.12.2019 को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत बांसलिया द्वारा पारित राजस्व ग्राम वांगरोदी के नामान्तरकरण सं. 238 दिनांक 20.04.2006 से रूष्ट होकर नामान्तरकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की हैं.।

11. अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में दिये गये तर्क के आधार पर अपीलान्ट का यह कहना है कि विवादग्रस्त आराजीयात पूर्व में चोखा पिता गोदा डांगी के नाम पर दर्ज थी, चोखा की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 12.06.1962 को कालु के नाम विरासत का नामान्तरण सं. 36 दिनांक 12.09.1962 पर भू.अ. डबोक द्वारा जांच में असन्तोष जनक पाया जाने पर दिनांक 05.10.1963 को नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि जब कालु के नाम की भूमि का विरासत

Scanned with CamScanner

का नामान्तरकरण ही खारिज हो चुका है तो कालु के नाम भूमि होने से कालु द्वारा किये गये विक्रयों के आधार पर विवादग्रस्त नामान्तरकरण 238 जो पारित हुआ है वह गलत हैं। इसलिए उक्त अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण को खारिज करने की इस्तदुआ चाही हैं।

12. न्यायालय को यह देखना है कि क्या नामान्तरकरण सं. 36 दिनांक 05.10.1963 जो खारिज हुआ है उसके पश्चात् कालु का नाम किस आधार पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा हैं ? इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ में दस्तावेज के रूप में भू.प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग (फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा) की प्रमाणित प्रति दिनांक 05.12.2019 का प्रस्तुत किया है जिसमें चोखा की विरासत के आधार पर कालु पिता चोखा का नाम दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही को दिनांक 24.12.1966 को सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हैं। उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो चुका है कि कालु का नाम राजस्व रेकार्ड में चोखा की विरासत के रूप में सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती के आधार पर दर्ज किया गया हैं, उसी के आधार पर कालु का नाम राजस्व रेकार्ड में चला आ रहा था।

13. चूंकि भूमि कालु के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर कालु खातेदार काश्तकार होने से कालु को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार था, उसी के नाते कालु द्वारा अपनी भूमि का विक्रय किया हैं। इसी विक्रय के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 238 दिनांक 20.04.2006 स्वीकृत हुआ हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बांसलिया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र की पुष्टि होने के पश्चात् ही उक्त नामान्तरकरण को पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 238 दिनांक 20.04.2006 को यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Akshay

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner